1. In the court of Abhishek.K. Das, Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
B.P. No. 913/2026, dt. 16.04.2026 Kajal Kumari vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
जमानत आवेदन संख्या–913 / 2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. काजल कुमारी , वल्द गॉधी राय उम्र 21 वर्ष
ग्राम–कटहॉ, थाना–मेहसी, जिला– पूर्वी चम्पारण.....आवेदिका।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदिका की ओर से – श्री कुमार पंकज ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद, विद्वान लोक अभियोजक।
सूचक की ओर से – श्री नरेन्द्र देव, विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

16.04.2026 काराधीन आवेदिका / अभियुक्ता काजल कुमारी की ओर से मेहसी थाना कांड संख्या–70 / 2025, धारा–126(2), 115(2), 118(1), 117(2), 109, 303(2), 352 / 3 (5) बी.एन.एस. के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 15.03.2026 से कारा में निरूद्ध है।

अभियोजन के अनुसार सूचक सूचक आत्मा राय की पत्नी को घर में घुसकर काजल कुमारी, निर्मला कुमारी एवं मुस्कान कुमारी गाली–गलौज किए एवं लोहा के रड तथा धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर सर काट दिया और हाथ तोड़ दिया। अपनी पत्नी को उठाने गया तो काजल कुमारी उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार किया जिससे उसका सर कट गया । उसकी पत्नी का सोना का ढोलना, मंगलसूत्र, कान का कनफूल नोच लिया।

जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदिका के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित / अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा कंडिका–4 में कहा गया है कि आवेदिका दिनांक 15.03. 2026 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदिका / अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदिका निर्दोष है , उसने आरोपित घटना को कारित नहीं किया है, उसे गलत नियत से इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। सूचक एवं आवेदिका

खास चाचा–भतीजी है। बकरी के घास चरने को लोकर उभय पक्षों नोकझोंक हुई थी एवं सूचक द्वारा बनावटी मामला दर्ज कराया गया है। धारा– 109, 303(2) बी.एन.एस. को छोड़कर शेष धाराएं जमानतीय है। उक्त धाराएं मामले को गैरजमानतीय बनाने के लिए जोड़ा गया है। अब उभय पक्षों के बीच मामला सुलह हो गया है। अतः जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदिका प्राथमिकी में नामित अभियुक्ता है। कांड दैनिकी की कंडिका–36 में सूचक की पत्नी सुगंधी देवी का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक की राय में जख्मी के सर पर खरोच एवं बॉह में दर्द एवं सूजन पाया गया है, जिसे कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का बताया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका– 49 में सूचक जख्मी आत्मा राय का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक की राय में जख्मी के सर पर कटा हुआ जख्म पाया गया है, जिसे कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का बताया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका–46 में आवेदिका के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास होना अंकित नहीं है। अब उभय पक्षों के बीच मामला सुलह हो गया है तथा उभय पक्षों की ओर से अंगूठे के निशान से समर्थित फोटोयुक्त सुलहनामा आवेदन एवं सुलह करने हेतु अनुमति आवेदन की सच्ची प्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है, जिसे उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित किया गया है। सूचक एवं उसकी पत्नी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर सुलहनामा के कथनो का समर्थन किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, आरोप की प्रकृति, जख्म की साधारण प्रकृति, आवेदिका के पूर्व स्वच्छ आपराधिक इतिहास, उभय पक्षों के बीच स्थापित मधुर संबंध एवं आवेदिका के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदिका/अभियुक्ता काजल कुमारी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदिका अनुसंधान में सहयोग करेगी।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांकः– 16.04.2026